न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल बोर्ड ग्वालियर पीठ रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

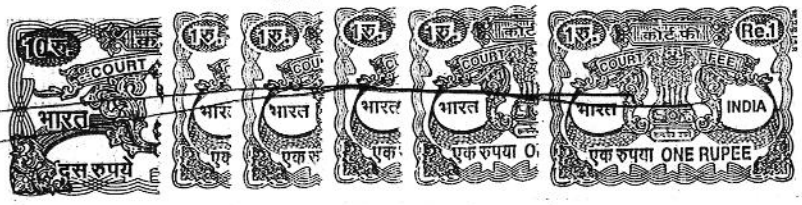

R. 2680-III/14 Rs.15:00

452
8/8/14

छोटेलाल पिता जगजाहिर राम तिवारी, निवासी–ग्राम मड़फा, तहसील सिरमौर, वर्तमान तहसील मनगवॉ, जिला रीवा (म0प्र0) ---निगरानीकर्ता

बनाम

1– रामसखा पटेल पिता श्री सुखदेव प्रसाद पटेल, निवासी ग्राम गोदरी, तहसील सिरमौर जिला रीवा (म0प्र0)

2– छोटेलाल उर्फ कलुआ कोल, निवासी–ग्राम मड़फा, तहसील सिरमौर, वर्तमान तहसील मनगवॉ, जिला रीवा (म0प्र0)

3– मध्यप्रदेश राज्य ---गैरनिगरानीकर्तागण

श्री ... पाण्डेय ... एड द्वारा आज दिनांक 8-08-14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय रीवा के प्रकरण क्र0 11/अ6/निग0/पुर्न0/2013–14 आदेश दिनांक 04/08/2014 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 राजस्व संहिता 1959 ई0।

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि भूमि नं0 9 रकवा 1.39 ए0 स्थित ग्राम मड़फा, पटवारी हल्का डगरदुआ, तहसील सिरमौर में है, उक्त भूमि पर अर्सा सन् 1982–83 से लगातार निगरानीकर्ता के पिता स्व0 श्री जगजाहिरराम ब्रा0 काबिज दखील चले आ रहे थे, स्व0 जगजाहिरराम ब्रा0 की मृत्यु के बाद निगरानीकर्ता छोटेलाल पुत्र होने के कारण काबिज दखील चले आ रहे हैं, उक्त भूमि पर विधिवत सुधार कर कृषि कार्य निगरानीकर्ता द्वारा किया जा रहा है एवं अपना मकान भी बनाया है। एवं वर्तमान में भी निगरानीकर्ता का नाम दर्ज रिकार्ड है।

23-8-14

यह कि निगरानीकर्ता के द्वारा उक्त भूमि नामांतरण हेतु आवेदन पत्र मान्नीय तहसीलदार महोदय, तहसील सिरमौर के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय द्वारा विधिवत पटवारी प्रतिवेदन, स्थल

छोटेलाल तिवारी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R -2680-II/2014 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश छोटेलाल / रामसखा	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–01–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री दिनेश पाण्डेय उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के प्रकरण में ग्राह्यता पर तर्क श्रवण किए गये। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 04.08.2014 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि आराजी नम्बर 9 रकवा 1.39 एकड़ राजस्व अभिलेख में शासन दर्ज थी किन्तु पटवारी अभिलेख के खाना कमांक 12 में निगरानी कर्ता का नाम अंकित था जिसके नामांतरण हेतु आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार सिरमौर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा अपने न्यायालयीन प्रकरण कमांक 42 / अ–6 / 04–05 में पारित आदेश दिनांक 30.6.05 से उक्त शासकीय भूमि पर निगरानी कर्ता का नामांतरण कर दिया गया। नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.10.06 से अनावेदक की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गयी तथा तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया गया किन्तु इसके बाद भी खसरा वर्ष 06–07 से 2010–2011 में नायब तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 30.6.05 के अनुकम में प्रविष्टि अंकित यथावत रही, जिसे नायब तहसीलदार द्वारा विलोपित नहीं किया गया जबकि विलोपित करना चाहिए थी। प्रकरण के अवलोकन तथा अपर कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है कि नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 30.6.05 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त कर अपील स्वीकार की जाकर आर.	

बी.सी. 4(3) के अंतर्गत विधि अनुसार आदेश पारित करने के आदेश नायब तहसीलदार को दिए गये थे। किन्तु अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के परिपालन में विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा कोई भी आदेश जारी किया जाना प्रकरण में नहीं पाया गया है, इस प्रकार शासकीय भूमि पर बिना किसी आदेश के निगरानी कर्ता के नाम की नायब तहसीलदार के निरस्त शुदा आदेश दिनांक 30.06.2005 के अनुकम में पूर्ववत राजस्व अभिलख में अंकित प्रविष्टि को अपर कलेक्टर द्वारा निरस्त कर भूमि कमांक 9 रकबा 1.39 एकड़ स्थित ग्राम मड़फा के राजस्व अभिलेख के भूमिस्वामी कॉलम में निगरानी कर्ता के स्थान पर मध्य प्रदेश शासन दर्ज करने का जो आदेश दिया गया है वह उचित है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त भूमि शासकीय है और आवेदक के नाम उक्त भूमि कमांक 9 रकवा 1.39 एकड़ के संबंध में किसी प्रकार का कोई बंटन अथवा किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत निगरानी कर्ता को प्रदाय करने संबंधी आदेश भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 4.8.2014 विधिअनुकूल एवं न्यायसंगत होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य